

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 56/2026

आदेश कुमार उर्फ आदेश कुमार जोशी

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 6 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, शशि श्रीवास्तव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मोहन सिंह

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अनिल कुमार कुशवाहा और ग्राम सभा के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार पाण्डेय को सुना।
2. इस जनहित याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने विरोधी पक्षकारों को दिनांक 8.03.2018, 25.03.2019 और 07.03.2024 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों को प्रवर्तित करने का निर्देश देने की मांग की है, जो राजस्व अभिलेखों में तालाब और लेखपाल भवन के रूप में दर्ज गाटा संख्या 271 क्षेत्रफल 0.97 हेक्टेयर पर किए गए अतिक्रमण को हटाने और विरोधी पक्षकार संख्या 7 से हर्जाना वसूलने से संबंधित हैं।
3. याचिकाकर्ता ने विरोधी पक्षकार संख्या 1 से 3 को अतिक्रमण हटाने के संबंध में कोई कार्रवाई न करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध पूर्ण जांच करने का आदेश देने के लिए परमादेश जारी करने की भी मांग की है।
4. विरोधी पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने यह प्रारंभिक आपत्ति प्रस्तुत की है कि याचिकाकर्ता द्वारा इस विषय पर दायर की गई यह चौथी रिट याचिका है। उन्होंने आगे कहा है कि विपक्षी पक्षकार संख्या 7 ने रिट याचिका संख्या 5464/2024 दायर की है, जो इस न्यायालय के विचाराधीन है। विरोधी पक्षकारगण के विद्वान

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिवक्ताओं ने आगे बताया है कि यह याचिका इस याचिका में प्रस्तुत की गई शिकायत के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों से पहले संपर्क किए बिना दायर की गई है।

5. यह स्थापित विधि है कि कोई व्यक्ति परमादेश रिट जारी करने की मांग करते हुए रिट तभी दायर कर सकता है जब वह पहले अपनी शिकायत के निवारण के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क करे और अधिकारियों द्वारा उसकी शिकायत का निवारण न किया गया हो।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उन्होंने कई अभ्यावेदन दिए हैं, जिनकी प्रतियां अनुलग्नक संख्या 7 और 8 में संलग्न हैं। अनुलग्नक संख्या 7, दिनांक 06.09.2019 का है और अनुलग्नक संख्या 8, दिनांक 28.03.2023 का है। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका संख्या 383/2024 दायर की थी, जिसे दिनांक 02.05.2024 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। चूंकि याचिकाकर्ता ने इसके बाद कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वर्ष 2019 और 2023 में दायर अभ्यावेदन वर्ष 2026 में रिट याचिका दायर करने का आधार बनते हैं।

7. इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता की शिकायत के निवारण के लिए विरोधी पक्षकारण को कोई अभ्यावेदन न दिए जाने के कारण यह रिट याचिका पोषणीय नहीं है।

8. तदनुसार, रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

9. हालांकि, याचिकाकर्ता को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वह समुचित आवेदन दाखिल कर अपनी शिकायतों के निवारण के लिए उपयुक्त प्राधिकारी से संपर्क करे, जिस पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा इस रिट याचिका के खारिज होने से प्रभावित हुए बिना विधि के अनुसार विचार किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

3 फरवरी, 2026

प्रदीप